मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

76, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक : 311 / 125 / 2011 भोपाल, दिनांक 25/6 / 2021

वृहद लोक अदालत का आयोजन

–सूचना–

सर्व संबंधित पक्षकारगण/अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल एवं प्रदेश के समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरमों में **दिनांक 24.07.21** को प्रातः 11:00 बजे **कोविड–19 मे शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन करते हुऐ** वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जाना निश्चित किया गया है।

तदनुसार **राज्य आयोग** मे वृहद लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु इच्छुक पक्षकारगण/अधिवक्तागण से "प्री–सिटिंग" की तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं –

क्र	विषय	तिथि
1	विद्युत मण्डल /आई सी आई सी आई जनरल इंश्योरेंस/रिलायंनस जनरल इंश्योरेंस एवं अन्य प्रकरणों के लिये	12.07.2021
2	जीवन बीमा निगम/म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल /एवं अन्य प्रकरणों के लिये	13.07.2021
3	बैंक /बिल्डर्स एण्ड डेवेलर्प्स /रेल्वे /बीज निगम एवं बीज प्रमाणिकरण संस्थाओ से संबधित एवं अन्य प्रकरणो के लिये	14.07.2021
4	कृषि बीमा /जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा संबंधित प्रकरण एवं अन्य प्रकरणों के लिये	15.07.2021
5	बैंक, टेलीकॉम, नेशनल इंश्योरेंस, इफको टोकियो जेनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड एवं अन्य प्रकरणों के लिये	16.07.2021

तत्संबंध में इच्छुक पक्षकारगण/अधिवक्तागण अपने आवेदन प्रकरण क्रमांक और आगामी नियत दिनांक सहित उपरोक्त नियत तिथियों के पूर्व प्रस्तुत इस कार्यालय मे प्रस्तुत कर सकते हैं।

म0प्र0 विद्युत मण्डल, म0प्र0 गृह निर्माण मण्डल, बैंक, बीमा कम्पनी और टेलीकॉम कम्पनी /रेल्वे/बीज निगम और बीज प्रमाणिकरण के अधिवक्तागण संबंधित सक्षम अधिकारियों को उपरोक्तानुसार प्री–सिटिंग्स की तिथियों में दोपहर 12:30 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित रखें।

वृहद लोक अदालत के आयोजन में आपका सहयोग अपेक्षित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के
आदेशानुसार,

रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद
प्रतितोषण आयोग, भोपाल